दिनांक- 25.02.2016 को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों के साथ आयोजित विडियों कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही ।

मनरेगा-

- सर्वप्रथम IPPE-II के सर्वे प्रपत्रों एवं वित्तीय वर्ष- 2016-17 के श्रम बजट के डाटा इंट्री की समीक्षा की गई । राज्य में IPPE-II के तहत अबतक करायी गई डाटा इंट्री के प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया । पुरे राज्य में मात्र 803867 सर्वे प्रपत्रों की डाटा इंट्री अबतक करायी गई है, जबकि लगभग एक करोड़ नौ लाख परिवारों के सर्वे प्रपत्रों की डाटा इंट्री करायी जानी है । दरभंगा, वैशाली, खगडिया, मधुबनी, शिवहर, अरवल, कैमूर एवं बांका जिलों में डाटा इंट्री की प्रगति पर चिन्ता व्यक्त की गई, जहॉ कुल SECC House Hold (Auto Included + Deprivation Criteria) परिवारों के विरूद्ध 5 प्रतिशत से भी कम परिवारों की सर्वे प्रपत्र की डाटा इंट्री कराई गयी है। पुरे राज्य में मात्र 3657 ग्राम पंचायतों में ही Labour Projection तथा 304 ग्राम पंचायतों में Work Projection की इंट्री अबतक करायी गई है । सीवान, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मधुबनी, बेगूसराय, गया, जहानाबाद जिलों में श्रम बजट की डाटा इंट्री की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया ।

  निदेश दिया गया कि अभियान चलाकर सर्वे प्रपत्रों तथा मनरेगा के श्रम बजट की डाटा इंट्री करायी जाय, ताकि दिनांक- 29.02.2016 तक इसे पूरा किया जा सके ।

- जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों/प्रखंडों/जिलों में CPSMS के माध्यम से प्राप्त की गई मनरेगा की राशि को राज्य स्तर पर संधारित SEGF के खाता में अंतरित करने का निदेश दिया गया था किन्तु अभी भी कई जिलों में मनरेगा की राशि को लौटाया नहीं गया है । इस विषय पर समीक्षा के कम में यह बताया गया कि अभी भी पुरे राज्य में 195.81 करोड़ राशि जिलों के खाते में पड़ी हुई है, जिसे वापस किया जाना है । इस क्रम में रोहतास जिला द्वारा बताया गया कि खातों में उपलब्ध राशि मनरेगा कर्मियों के लिये रखे गये EPF की राशि है जिसे अभी तक कर्मियों के EPF खाता खोले नहीं जाने के कारण जिला स्तर पर विभिन्न् खातों में उपलब्ध है ।

  यह निदेश दिया गया है कि अविलम्व संबंधित मनरेगा कर्मियों का EPF खाता खोलकर उस में राशि हस्तांतरित कराया जाय साथ ही जिला में उपलब्ध मनरेगा मद की राशि को राज्य स्तर पर संधारित State employment guarantee fund (SEGF) के खाते में अविलंब वापस किया जाय।

- समीक्षा के क्रम में जिलों द्वारा बताया गया कि अभी भी कई जिलों में पोस्ट ऑफिस द्वारा उनके पास जमा Rolling Fund जिला को वापस नहीं किया गया है । कटिहार जिला द्वारा बताया गया कि उनके जिलें में 80 लाख रूपये मनरेगा की राशि पोस्ट ऑफिस के पास पड़ा है । इसी प्रकार से गया जिले में 2 करोड़ रूपये मनरेगा की राशि पोस्ट ऑफिस के पास पड़ा है ।

  निदेश दिया गया कि सभी जिले इस संबंध में पोस्ट ऑफिस के खाते में उपलब्ध Rolling Fund का विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को अविलम्व उपलब्ध कराया जाय ताकि Chief Post Master General, Bihar के साथ बैठक कर मामले का निपटारा किया जा सके ।

- वित्तीय वर्ष- 2015-16 के लिए अनुमोदित श्रम बजट के विरूद्ध अबतक सृजित किये गये मानव दिवस की समीक्षा की गई । अनुमोदित मानव दिवस के विरूद्ध 50 प्रतिशत से भी कम मानव दिवस सृजन वाले जिले गया, पटना, प0 चम्पारण, मुजफ्फरपुर, खगडिया, रोहतास, किशनगंज, बेगूसराय, गोपालगंज, मधुबनी, भोजपुर एवं दरभंगा जिले में मानव दिवस की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया ।

  निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष के बचे हुए समय में अधिक से अधिक रोजगार सृजन से संबंधित योजनाओं को प्रारंभ किया जाय ताकि मानव दिवस सृजन में वृद्धि हो सके।

- समीक्षा क्रम में यह बताया गया कि 1493 ग्राम पंचायतों में इस वर्ष मनरेगा योजना के तहत शून्य राशि ब्यय की गई है ।

निदेश दिया गया कि ग्राम पंचायतों की पहचान कर यह मालुम किया जाय कि किन कारणों से वहॉ राशि व्यय नहीं की गई एवं वहॉ कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित किया जाय एवं दोषी कर्मियों को चिन्हित कर उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

- मनरेगा अंतर्गत मजदूरी भुगतान में हो रहे विलम्ब पर सभी जिलों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। राज्य में इस वित्तीय वर्ष से संबंधित मस्टर रॉल में मजूदरी भुगतान में विलम्ब का प्रतिशत 77 है । सहरसा, सीतामढ़ी, जमुई, भोजपुर, नालंदा, दरभंगा, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, पूर्वी चम्पारण एवं कटिहार जिलों में मजदूरी भुगतान में विलम्ब 80 प्रतिशत से भी अधिक है।

निदेश दिया गया कि सभी जिला निर्गत किये गये मस्टर रॉल के विरूद्ध भरे गये मस्टर रॉल का अनुश्रवण निरंतर रूप से करने तथा MIS Reports R 14.3 पर उपलबध Dash Board to monitor delay का भी अवलोकन कर कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विलम्व के कारणों के चिन्हित किया जाय, ताकि मजदूरी भुगतान में हो रहे विलम्व को समाप्त किया जा सके ।

- वित्तीय वर्ष- 2014-15 में जिलों से प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा की गई । इस क्रम में यह बताया गया कि बक्सर, मधुबनी, वैशाली एवं खगडिया जिला से अभी तक अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । कई जिलों द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ Annexure 25 एवं 26 प्रेषित नहीं किया गया है ।

निदेश दिया गया है कि एक सप्ताह के अंदर सभी योजनाओं का अंकेक्षण प्रतिवेदन (संबंधित विहित प्रपत्रों के साथ) विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

- समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त पूर्वी चम्पारण द्वारा प्रश्न उठाया गया कि IPPE-II 2 के तहत कराये जा रहे डाटा इंट्री पर होने वाले व्यय का भुगतान किस मद से किया जाना है । इस संबंध में विभाग से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है । सचिव द्वारा जल्द ही इस संबंध में दिशा-निर्देश जिलों को उपलब्ध कराने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया ।

सहरसा, सीवान एवं रोहतास जिला द्वारा मनरेगा के तहत प्रखंड स्तर पर निर्माण किये जा रहे भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई । जिलों द्वारा बताया गया कि पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से पंचायत समिति स्तर योजना को कराने का निदेश विभाग द्वारा दिया गया था । EFMS भुगतान प्रणाली लागु हो जाने के उपरांत इस संबंध में मार्गदर्शन की आवश्कयता है।

29/2/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 264256 पटना, दिनांक 02-03-2016

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/2/2016
सचिव

ज्ञापांक 264256 पटना, दिनांक 02-03-2016

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित वरीय पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/2/2016
सचिव